a revolving fund to permit the import of further quantities of nylon yarn to meet the demand for exports of art silk fabrics is also under consideration.

(iii) In the light of meetings convened by the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals in the matter and advice given, the Textile Commissioner has had further discussions with spinners and weavers to arrive at satisfactory arrangements for keeping prices at a reasonable level and to ensure an equitable and uniform distribution to consumers to avoid malpractices.

(vi) Further action is contemplated in the context of (iii) and (i). It would not be in the public interest to disclose what this will be at this stage.

(v) It has also been proposed to create additional capacity for the production of nylon and to give preference to cooperatives of nylon weavers, and State Industrial Corporations. The pattern of future demand is being analysed taking into account the installation of further power looms in backward areas so as to select areas where such capacity should be erected.

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

497. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार, किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन आदेशों को केवल तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कार्यालयों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रेकार्ड सार्टर, दफ्तरी, चपरासी और फर्राश ।

(ख) जी हां ।

(ग) अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध प्रशासनिक खर्च में किफायत लाने और फालतू कर्मचारियों को समाहित करने के विचार से लगाया गया है । राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में स्थायी संवर्गों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम संख्या में अधिकारियों की भर्ती की जाती है और उनके फालतू होने की संभावना नहीं है ।

पश्चिम रेलवे (पश्चिम खण्ड) के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

*498. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे (पश्चिम खण्ड) के कर्मचारियों ने महा प्रबन्धक को चालू वर्ष में ऐसा कोई ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन में उल्लिखित कठिनाइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कोई जानकारी एकत्रित की है ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कारों के निर्माण की लागत के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*499. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर कारों की

निर्माण लागत के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक प्रशुल्क आयोग वर्ष 1957 में और दूसरा 1966 में नियु किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोनों आयोगों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को दे दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रशुल्क आयोग को एक बार अगस्त, 1955 में तथा दूसरी बार मई, 1966 में मोटर गाड़ियों के कम्पनी से निकलते समय के उचित मूल्य तथा उचित विक्रय मूल्य के बारे में जांच करने तथा उस पर अपनी सिफारिशें देने को कहा गया था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्रशुल्क आयोग द्वारा अक्तूबर, 1956 में प्रस्तुत प्रतिवेदन को 19 मार्च, 1957 में तथा अगस्त, 1968 में प्रस्तुत प्रतिवेदन को 19 नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रख दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cost of Production of Steel

*500. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of production of steel items in India is much higher than in other countries ;

(b) if so, how our costs compare with those obtaining in U. S. A., U.S.S.R. and Japan for 100 tonnes of steel ;

(c) the steps being taken to reduce the cost of production by the Hindustan Steel Limited ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2303/69.]

Revision of Electoral Rolls

*501. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has undertaken the task of the revision of electoral rolls in the country ;

(b) whether the persons who will come of age on the qualifying date for the 1972 General Elections, will also be enrolled ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Under the revision now in progress all persons who will not be less than 21 years of age on the 1st January, 1970, will be included in the revised electoral rolls for the year 1970. As the countrywide general elections for 1972 will have to be held in February-March of 1972, persons who will come eligible for registration as electors on the 1st January, 1971 will be included in the electoral rolls for the 1972 General lections. To facilitate such inclusion the names of eligible persons who will not be less than 21 years of age on or before the 1st January, 1971, are also being collected in a separate list by the enumerators appointed for the current revision. Under the existing law it will not be possible to include the names of persons who will be eligible as electors on the 1st January, 1972, in the electoral rolls which will be used for 1972-General Elections.

Manufacture of Cables in Private Sector

*502. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Electrical Manufacturers Association, Bombay has declared that there would be no shortage of telephone cables in the country, if the private sector was allowed to utilise its idle capacity ;